एक नजर

कमलनाथ का आरोप- भ्रष्टाचार में डूबा प्रदेश, इसलिए निवेशक हुए दूर

भोपाल,(निप्र)। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार और लूट में डूबा हुआ है। इसका नतीजा यह है कि आज राज्यों में निवेश नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की छवि अच्छी नहीं बनी है।

मोदी के कार्यक्रम से शुरू होगी मिशन- 2023 की शुरूआत

भोपाल,(निप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन 17 सितंबर को श्योपुर में मनाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से जो चीते आ रहे हैं। उन्हें मोदी ही कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इसके बाद मोदी स्वयंसहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रदेश में पदयात्रा करने वाले हैं। चुनावों से पहले मोदी के और भी दौरे प्रस्तावित हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह में भी उनके आने की संभावना है।

बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्यप्रदेश में आगमन एक गौरव का क्षण है। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं।

हमारे हृदय के विषय हैं काशी मथुरा अयोध्या-उमा

भोपाल,(निप्र)। ज्ञानवापी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पित्र पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनने को मिला है कि ज्ञानवापी पर याचिका सुनवाई के योग्य है। ये प्रसन्नता का विषय है। काशी मथुरा अयोध्या हमारे हृदय के विषय हैं। 1991 के एक्ट का पालन हो रहा है। जब ये विधेयक आया तो वे इसमें प्रमुख वक्ता थी। उन्होंने तब भी कहा था। इसमें अयोध्या को जोडा गया है। कृपया मथुरा और काशी को जोडा जाए। तब ऐसा नहीं होने पर हमने इसका बहिष्कार किया था। वे चाहती हैं कि ये याचिका शुरूआत है। जब राम मंदिर की बात हुई तो फैसला सबने सुना।आगे भी ऐसा हो।

आज से विधानसभा का मानसून सत्र

■ बरसेंगे सवाल होगा बवाल! ■ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज मंगलवार 13 सितंबर से होने वाला है लेकिन सत्र के पहले जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। उससे इस बात की चिंता बढ़ गई है कि मानसून सत्र में जनहित के सवाल ज्यादा बरसेंगे या फिर बवाल क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि सत्र एक दिन पहले यानी 16 को खत्म हो सकता है। इसकी वजह यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ मंत्री कूनो में पीएम मोदी के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। इस पर सियासी बयानबाजी भी से तेज हो गई है।

पांच दिवसीय सत्र 17 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान करीब सात महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें भू राजस्व संहिता में संशोधन और नगर पालिक विधि द्वितीय संशोधन विधेयक भी शामिल है। बता दें पहले सत्र 25 जुलाई से सत्र आयोजित होना था। लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के चलते विधानसभा को तब आगे बढ़ा दिया गया था। बहरहाल 13 सितंबर से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अध्यादेश के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि और भू राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पांच दिवसीय सत्र में अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल , शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने के बाद अन्य कार्य किए जाएंगे। वहीं सत्र एक दिन पहले समाप्त होने की भी आशंका जताई जा रही है...दरअसल विधानसभा सत्र 13 से 17 सितंबर तक आयोजित होना है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 सितंबर को श्योपुर कूनो पालपुर दौरे के चलते सत्र एक दिन पहले यानी 16 को खत्म हो सकता है। इसकी वजह यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ मंत्री कूनो में रहेंगे।

विधानसभा में सर्वदलीय बैठक

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में सोमवार को धान सभा भवन में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई ।बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र हेतु प्रस्तावित कार्यों को सुचारु रुप से निष्पादित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधान सभा नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह, संसदीय कार्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव एस पी सिंह उपस्थित थे।

कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी

उधर कांग्रेस ने विधानसभा सत्र पांच की जगह 25 दिन का करने की मांग की है। कांग्रेस पक्ष के विधायकों का कहना है दरअसल सत्र लंबा चलता है तो सरकार की कमजोरियां सामने आएंगी। ऐसे में छोटा सत्र रखकर सरकार खानापूर्ति कर रही है। जिससे उसकी कमियां उजागर न होने पाएं। वहीं कांग्रेस पोषण आहार और यूरिया घोटाले और कारम डैम सहित दूसरे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद ने कहा सदन को सुचारु रुप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सदन में उठने वाले मुद्दों पर मंथन किया गया। हम चाहते हैं सदन का समय का सद्उपयोग हो। वहीं संसदीय कार्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा सदन में सारगर्भित मुद्दों पर चर्चा हा। सभी मुद्दे उठे और सभी विधायकों को समय मिले इस पर सहमति बनी है। विधानसभा के मानसून सत्र में जनहित के कई मुद्दे उठाए जाएंगे। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए है।

विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू

विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर मंगलवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले सोमवार से विधानसभा के आसपास के 5 किमी के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, बाढ़ और अतिवृष्टि से परेशान किसानों को मुआवजा नहीं मिलने और कानून व्यवस्था समेत हाल ही में आई कैग की रिपोर्ट को लेकर हंगामे के आसार है। विधानसभा का सत्र 17 सितंबर तक चलेगा।

नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे एक हजार 930 एल्डरमैन

प्रदेश में 46 नगरीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियां का सिलसिला प्रारंभ होगा। सरकार नगरीय निकायों में एक हजार 930 एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त करेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। यह संख्या अभी छह-छह है। इसमें वृद्धि के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग आज से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में नगर पालिक और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा। प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रशासनिक और नगर पालिक व नगर पालिका अधिनियम के जानकारों को एल्डरमैन के रूप में नियुक्त करने का प्रविधान है। आमतौर पर क्षेत्र के सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए संगठन की ओर से नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। परिषद के कार्यकाल तक इनका भी कार्यकाल रहता है। अभी नगर निगम में छह, नगर पालिका में चार और नगर परिषद में दो वरिष्ठ पार्षद मनोनीत किए जा सकते हैं।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नगरीय निकायों की जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए प्रविधान में संशोधन आवश्यक हो गया है। नई व्यवस्था में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले निगम (भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर) में 12-12 और शेष निगम (उज्जैन, छिंदवाड़ा, मुरैना, खंडवा, बुरहानपुर, कटनी, रतलाम, देवास, सागर, रीवा, सिंगरौली और सतना) में दस-दस एल्डरमैन मनोनीत किए जा सकेंगे। इसी तरह नगर पालिका में चार की जगह छह और नगर परिषद में दो के स्थान पर चार एल्डरमैन नियुक्त होंगे। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं।

भाजपा के बागियों को मिलेगा मौका- नगरीय निकाय चुनाव के दौरान बहुत सारे बागी प्रत्याशियों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, ऐसे लोगों से नामांकन पत्र वापस लेने के लिए उन्हें एल्डरमैन बनाने का वादा किया गया था। यही वजह है कि हर निकाय में एल्डरमैन की संख्या बढ़ाकर दोगुनी की जा रही है। गौरतलब है कि कमल नाथ सरकार के दौरान भी एल्डरमैन नियुक्ति की प्रक्रिया जोर-शोर से चली थी लेकिन कांग्रेस सरकार एल्डरमैन की नियुक्ति नहीं कर पाई थी।

कागपुर पुल पर भारी वाहन प्रतिबंधित

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल पुलियों की अद्यतन स्थिति का भी जायजा लिया। जिले की सभी पुल.पुलियों पर यातायात पूर्वानुसार सुचारू रूप से संचालित होने लगा है। उन्होंने कागपुर में बाह्य नदी के क्षतिग्रस्त पुल की मर मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित अवधि के उपरांत ही भारी वाहनों का आवागमन शुरू कराया जाए।

जनपद सीईओ का वेतन रोकने के दिए निर्देश

आवेदनों का निराकरण नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश

विदिशा,(निप्र)। सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु जिले में विशेष पहल करने के निर्देश कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की अब तक की जारी प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग सूची में विदिशा जिला 15वें स्थान पर है। उन्होंने टॉप.5 में शामिल हो इसके लिए विभागों के अधिकारी हर संभव पहल करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम क साथ.साथ सीएम हेल्पलाइन के दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु अनुविभाग स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में संबंधित आवेदकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने समस्त एसडीएम से कहा कि सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों के निराकरण कार्यों में नोडल की भूमिका का निर्वहन करते हुए ऐसे विभाग जहां ज्यादा सं या में आवेदन लंबित हैं उनके निराकरण हेतु विशेष प्रक्रिया क्रियान्वित कराएं। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत अगस्त माह के दर्ज आवेदनों का निराकरण शत.प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिले व विभाग को निराकरण के अंक प्राप्त हो सकें। जिससे जिला व विभाग की स्थिति में सुधार परिलीक्षित हो। शेष अन्य माह के आवेदनों का निराकरण कराने पर अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने बहुतायत सं या में दर्ज आवेदन वाले विभाग नगरीय निकायए राजस्वए उर्जाए स्वास्थ्यए शिक्षा व श्रम विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने भी सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण में रूचि प्रदर्शित नहीं करने वाले जनपदों के सीईओ का वेतन रोकने के निर्देश व्हीसी समीक्षा बैठक में दिए हैं।

वृद्धा के साथ दुराचार कर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विदिशा,(निप्र)। न्यायालय अयाज मोहम्मद ए.एस.जे. चतुर्थ जिला विदिशा द्वारा दुराचार कर हत्या करने वाले आरोपी निवासी-थाना ग्यारसपुर अंतर्गत धारा 376(1), तथा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस. तोमर द्वारा समय-समय पर प्रकरण में मार्गदर्शन दिया गया। अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 19 नवंबर 2020 को फरियादिया मृतिका की बहू ने थाने पर जाकर बताया कि उसकी सास (मृतिका) रात में खाना-खाकर खेत की रखवाली करने चली गई। अगले दिन सुबह फरियादिया ने देखा कि उसकी सास मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतिका के मुॅह और ऑखों में मिटटी भरी थी, फरियादिया ने रोते हुए पूरी बात अपने पति को बताई तथा बताया कि उसकी सास को किसी ने गलत काम करके मार दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफतार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पष्चात अभियोजन ने गंभीर मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण साक्षियो के साक्ष्य एवं लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर प्रमाणित किया।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील जूनी इन्दौर, जिला- इन्दौर
कक्ष क्रमांक-115 कलेक्टर कार्यालय इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)
E-mail-naibtehsildar64@gmail.com
क्रमांक/1387 / रीडर । 2022 इन्दौर, दिनांक 05/09/ 2022

उदघोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकपक्ष राधास्वामी सत्संग ब्यास (रजिस्टर्ड सोसायटी) पता-गाँव और डाक खाना डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब) ने अनावेदकपक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल तर्फे सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर जिला इन्दौर तर्फे अपर कलेक्टर तर्फे नायब तहसीलदार जूनी इन्दौर के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विनिमय पत्र क्रमांक mp179132022A1463372 दिनांक 04/05/2022 के आधार पर राजस्व ग्राम पालदा स्थित सर्वे क्रमांक 62 रकबा 0.202 हेक्टयर भूमि पर राजस्व अभिलेख में नामांतरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में पेशी दिनांक 20/09/ 2022 तक प्रस्तुत करे। बाद मियाद पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05/09/ 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।
प्रकरण क्रमांक 6372 /अ-6/2022-23

नायब तहसीलदार
जूनी इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अजीत सोगानी पुत्र बसंतीलालजी सोगानी, उम्र 66 वर्ष, पता- फ्लैट नंबर 503, ई-ब्लॉक, द एड्रेस टाउनशिप, इंदौर में रहने वाला एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मैं अपने पुत्र श्री आकाश सोगानी द्वारा किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या किसी भी व्यक्ति से लिया गया ऋण या नगद व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। मेरे पुत्र के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और जिम्मेदारियों पर ही ऐसा करेगा। मेरे पुत्र श्री आकाश सोगानी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कार्य या व्यवहार के लिए, मेरा पुत्र आकाश सोगानी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

अजीत सोगानी
फ्लैट नं. 503, ई-ब्लॉक, द एड्रेस टाउनशिप, इंदौर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भिचौलीहप्सी जिला इन्दौर
प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक जी-9
क्रमांक/32/ रीडर/2022 इन्दौर,दिनांक 09/9/22
प्र.कं /अ-6/2022/23

उदघोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजीज पटेल पिता अब्दुल पटेल निवासी-516, मुण्डला नायता तहसील व जिला इंदौर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 कि अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बिहाडिया स्थित सर्वे 48/3/1 पैकि रकबा 0.200 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में नामांतरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदनपत्र के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो वह दिनांक 23/09/2022 तक अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 09/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी

नायब तहसीलदार
तहसील भिचौलीहप्सी इन्दौर

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम Sanveer S/O Ranveer Chhabra था, जो की अब बदलकर Sanveer Singh Chhabra S/O Ranveer Singh Chhabra हो गया है। अतः भविष्य में मुझे Sanveer Singh Chhabra S/O Ranveer Singh Chhabra नाम से जाना व पहचाना जावे।

Sanveer Singh Chhabra S/O Ranveer Singh Chhabra
Add:- 10, Adarsh Nagar Palsikar Colony, Indore, M.P. 452001 India

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो की मेरा पुराना नाम अमृत कौर (AMRIT KAUR) था, जो परिवर्तित होकर अमृत कौर संधू पति जगजीत सिंह संधू (AMRIT KAUR SANDHU W/o JAGJEET SINGH SANDHU) हो गया है आज दिनांक से मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

AMRIT KAUR SANDHU
264, Vishnupuri Colony NX Indore MP

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो की मेरे पुत्र का पुराना नाम आकाशदीप सिंह (AKASHDEEP SINGH) था, (उम्र 17 वर्ष) जो परिवर्तित होकर आकाशदीप सिंह संधू पिता जगजीत सिंह संधू (AKASHDEEP SINGH SANDHU S/o JAGJEET SINGH SANDHU) हो गया है आज दिनांक से मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

JAGJEET SINGH SANDHU
264, Vishnupuri Colony NX Indore MP

जाहिर सूचना

सूचित किया जाता है कि खसरा नंबर 343/3 शीट नंबर 02 प्लाट नंबर 19 भूमि पर मुफद्दल पार्क कॉलोनी विकसित की जा रही है। एतद कॉलोनी में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के प्लॉट कमजोर अति वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए कम मूल्य पर उपलब्ध है। इस हेतु इच्छुक क्रेता आज दिनांक 12-09-2022 से 45 दिवस के भीतर अपना आवेदन, आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड एवं आधार कार्ड सहित आकर कॉलोनी में अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर देवे। आवंटन पहले आओ पहले पाओ की नीति पर आधारित है। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 170.35 वर्ग मीटर है। कॉलोनी का विधिवत नक्शा पास एवं डायवर्सन होकर विकास अनुमति एवं रेरा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है।

संपर्क हेतु पता
मुफद्दल पार्क कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी इंदौर रोड के पास, खंडवा
मो.नं. 8989530547

जिला सहकारी संघ मर्यादित, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक/मीटिंग/आमसभा/2022/50 दिनांक 06.09 2022

वार्षिक साधारण सभा सूचना

सम्मानीय,
जिला संघ प्रतिनिधिगण समस्त सदस्य सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जिला सहकारी संघ की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 22.09.2022 को दिन गुरुवार को दोपहर 01.00 बजे से जिला सहकारी संघ, रामेश्वर रोड, खण्डवा में आयोजित होगी। गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में बैठक स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर निर्धारित विषयों के विचारार्थ आधा घंटा पश्चात प्रारंभ होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। कृपया आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

(मीना डाबर)
उप आयुक्त, सहकारिता एवं प्रभारी अधिकारी
जिला सहकारी संघ मर्या, खण्डवा

कार्यालय केशव साख सहकारी संस्था मर्या. मनावर

पंजी.नं. DR/DHR/1674/Dt.26.12.2016 दिनांक 08/09/22
क्रमांक/172/आमसभा/22-23/

आमसभा की सूचना

महानुभाव
संस्था के संकल्प क्रमांक 02 दिनांक 21.08.22 अनुसार संस्था के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था का वार्षिक व्यापक सम्मेलन (आमसभा) दिनांक 23.09.2022 वार शुक्रवार को समय प्रातः 11.00 बजे संस्था कार्यालय गुलाटी रोड में आयोजित की गई है। जिसमें आपकी उपस्थिती सादर प्रार्थनिय है कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनिट स्थगित कर नियत स्थान पर पुनः नियमानुसार प्रारम्भ की जायेगी।

विषय-सूची

(म.प्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के तहत) 1. आगामी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये बजट का प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकृति । 2. संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रस्ताव के संबंध में विचार। 3. संपरिक्षा रिपोर्ट वर्ष 2021-22 का अनुमोदन। 4. वित्तीय वर्ष के कार्य संचालन में हुए घाटे का परिक्षण एवं स्वीकृती। 5. संस्था का वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण कराने बाबद विचार। 6. प्रबंधकार्यकारिणी बैठको एवं विगत आमसभा की कार्यवाही का अनुमोदन। 7. बजट से अधिक व्ययों का अवलोकन एवं स्वीकृति। 8. सुखदेव पाटीदार एवं जयेश सोनी (कलातीत ऋणी सदस्य) पर निलंबन पर विचार। 9. अन्य विषय श्रीमान प्रशासक महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष
केशव साख सह.संस्था मर्या.
मनावर जिला-धार (म.प्र)

श्री सेवा साख सह.संस्था मर्या. मनावर जिला धार

पंजीयन क्र. DR/DHR/2924/15.04.2019 क्रमांक/श्री सेवा/आमसभा/22-23/39
दिनांक 07.09.2022

आमसभा सूचना पत्र

संस्था के संकल्प क्र.2 दिनांक 04.09.22 अनुसार संस्था के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था का वार्षिक व्यापक सम्मेलन (आमसभा) दिनांक 26.09.2022 वार सोमवार को समय 11.00 स्थान संस्था कार्यालय मनावर (मार्केटिंग काम्पलेक्स भवन) में आयोजित की गयी है। जिसमे आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनिट स्थगित कर नियत स्थान पर पुनः नियमानुसार प्रारंभ की जावेगी।

विषय सूची

(म.प्र.सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के तहत) 1.आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये बजट का प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकृति। 2. संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रस्ताव के संबंध में विचार। 3. सपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2021-22 का अनुमोदन। 4. वित्तीय वर्ष के कार्य संचालन में हुऐ घाटे का परीक्षण एवं स्वीकृति। 5. संस्था का वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण करने बाबद विचार। 6. प्रबंधकार्यकारिणी बैठको एवं विगत आमसभा की कार्यवाही का अनुमोदन। 7. बजट से अधिक व्ययों का अवलोकन एवं स्वीकृति। 8. अन्य विषय श्रीमान प्रशासक महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष,
श्री सेवा साख संस्था गर्या मनावर

≡ जाहिर सूचना ≡

सर्व साधारण को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार महेश पिता अर्जुन पाटीदार निवासी-निसरपुर का सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्गत डूब ग्राम निसरपुर की अप्रभावित ए.टी.आर. क्र. 225 पर आवेदक महेश पिता अर्जुन को वयस्क पुत्र के रूप में निसरपुर पुनर्वास स्थल पर भू-खण्ड क्र. 2646 जिसकी साईज उत्तर से दक्षिण 60 फिट चौड़ाई व पूर्व से पश्चिम 90 लंबाई कुल क्षेत्रफल 5400 वर्गफीट पर नवीन निर्माण हो चुका है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- पूर्व-मोतीलाल बाट्या की भूमि, पश्चिम-नरेन्द्र प्रजापत की भूमि, उत्तर-श्री राम गंगाराम की भूमि, दक्षिण-रास्ता। यदि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति को यदि आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में सूचित करें। बाद में किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। अतः सूचित हो।

मोनिका जैन, एडवोकेट
चेंबर नं. 10, कोर्ट कम्पाउंड, कुक्षी जिला धार, म.प्र.
मो. [illegible]

प्रियांश इन्फ्रा ईस्टर्न कॉरिडोर
ऑफिस 70-बी, सेक्टर-ए, सांईनाथ कॉलोनी, इन्दौर म.प्र.
(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्लॉट के आवंटन/विक्रय के संबंध में सूचना)

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन एवं शर्तें) नियम 1998 एवं संशोधन विधेयक दिनांक 19 अप्रैल 2012 के नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत हमारे द्वारा ग्राम कनाडिया तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे नंबर 834/2 रकबा 1.550 हेक्टेयर पर विकसित आवासीय कॉलोनी ईस्टर्न कॉरिडोर में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी.) हेतु प्लॉट विक्रय/आवंटन नियम के निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाना है। इस हेतु उपरोक्त कॉलोनी/इकाइयों में आवंटन विक्रय हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाने है। पात्रता की शर्तें :- 1. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्यक है। (सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र) 2. आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इकाई पात्रता हेतु कमजोर वर्ग का होना आवश्यक है। (सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र) 3. प्लॉट के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र एवं शर्ते रुपए 11000/नगद/चेक जमा कराकर विज्ञाप्ति प्रकाशन दिनांक......से 10 कार्यालयीन दिवस मे समय 11.00 से 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। 4. कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त इंदौर नगर पालिक निगम, इंदौर का होगा। 5. कमजोर आय वर्ग हेतु प्लॉट का मूल्य प्रावधानिक नियमों के अनुसार है। 6. आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई भवन/भूमि म.प्र. में नहीं है। इस आशय को शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 7. एलआईजी के 5 प्लाट एवं ईडब्लूएस 7 प्लाट है। 8. प्लॉट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

ऑफीस 70-बी, सेक्टर-ए, सांईनाथ कॉलोनी, इन्दौर म.प्र. इन्दौर
मोबाईल नंबर - 9302125060
कॉलोनी-ईस्टर्न कॉरिडोर तर्फे
डायरेक्टर श्री विक्रम श्रीमाल

DP
D. P. Jewellers
A BOND OF TRUST SINCE 1940
A VENTURE OF D.P. ABHUSHAN LIMITED

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.)-457001
दूरभाष क्रमांक: +91-7412-490966, फैक्स: +91-7412-247 033
ई-मेल: cs@dpjewellers.com; वेबसाइट: www.dpjewellers.com

कंपनी के पांचवी वार्षिक सामान्य सभा, नोटिस दिनांक और ई-वोटिंग का नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डी. पी. आभूषण लिमिटेड के सदस्यों की पांचवी (5वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को शाम 05:00 बजे, होटल बालाजी सेंट्रल, सैलाना रोड, अमृत गार्डन के पास, जीटीबी [illegible] स्कूल के सामने, रतलाम - 457 001, मध्य प्रदेश पर नोटिस में निर्धारित सामान्य व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त MCA परिपत्रों और SEBI परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) की सूचना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, केवल उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर सकते हैं कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अपलोड किया गया है।

MCA परिपत्रों के आलोक में, शेयरधारक चाहे डीमैट फॉर्म या भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखते हों और जिन्होंने अपने ईमेल पते जमा नहीं किए गए हों और जिसके कारण उन्हें पांचवी वार्षिक सामान्य सभा (AGM) और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की सूचना प्रदान नहीं की गयी है, उनसे निवेदन है कि नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता अस्थायी रूप से पंजीकृत करें:

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की हुई कॉपी), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-सत्यापित) प्रदान करें आधार कार्ड की स्कैन कॉपी) मेल द्वारा cs@dpjewellers.com पर प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), AADHAR (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति) मेल द्वारा cs@dpjewellers.com पर प्रदान करें।
3. वैकल्पिक रूप से सदस्य ईमेल द्वारा इस मेल पते पर evoting@nsdl.co.in उपरोक्त बिंदु (1) या (2) में बताए गए विवरणों को भेज कर, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ईमेल पते के पंजीकृत होने के उपरांत सदस्यों को पांचवी वार्षिक सामान्य सभा का नोटिस वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 और ई-वोटिंग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक कंपनी को cs@dpjewellers.com पर लिख सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पूर्ण बैंक विवरण और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ईमेल आईडी दर्ज करें या अपडेट करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते को बनाए रखते हैं।

कंपनी में कोई भौतिक शेयरधारक नहीं है, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बंद नहीं की गई है। जिन सदस्यों का नाम शुक्रवार, 23 सितंबर 2022, कट-ऑफ डेट के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह ही केवल पांचवी वार्षिक सामान्य सभा में ई वोटिंग करने के हकदार होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार नियम बनाए गए (जैसा कि संशोधित) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियमन 44 और उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी द्वारा पांचवी वार्षिक सामान्य सभा के दिन रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग की सुविधा, पांचवी वार्षिक आम सभा में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) के साथ अनुबंध किया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा पारित संकल्प (संकल्पों) को पारित माना जाता है जैसे कि वे एजीएम में पारित किए गए हो।

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 27 सितंबर, 2022 को प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी एवं गुरुवार, 29 सितंबर, 2022, शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जिनका नाम शेयर धारक रजिस्टर में कट-ऑफ डेट को अंकित किया होगा उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग की पात्रता होगी।

सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि:

क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान की तारीख और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और किसी सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ख) ई-वोटिंग की पांचवी वार्षिक सामान्य सभा में उपलब्ध कराई जाएगी
ग) जो सदस्य पांचवी वार्षिक सामान्य सभा से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी पांचवी वार्षिक सामान्य सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पांचवी वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में प्रदान की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जो पांचवी वार्षिक सामान्य सभा की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य तक यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 बन जाता है वह भी रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग के लिए इन मेल पतों evoting@nsdl.co.in या cs@dpjewellers.com पर अपनी पंजीकृत ईमेल पते से उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ई-वोटिंग के लिए किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का उपयोग कर सकते हैं और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या टोल फ्री नं.1800 222 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी की कंपनी सचिव मिस आशी नीमा से भी संपर्क कर सकते हैं या cs@dpjewellers.com को एक ई-मेल लिख सकते हैं या किसी और स्पष्टीकरण के लिए + 91 7412 490 966 पर कॉल कर सकते हैं।

स्थान: रतलाम
दिनांक: 07 सितंबर, 2022

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एसडी-
आशी नीमा, कंपनी सचिव